न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 130/2014 **दायरा दिनांक : 23.06.2014**

उनवान

रामसिंह आत्मज पन्ना लाल, जाति काछी, उम्र 49 वर्ष, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— भंवर लाल आत्मज भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

2— सुरेश चन्द आत्मज भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

3— बालचन्द आत्मज भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

4— गोपाल लाल आत्मज भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

5— नन्दूबाई पुत्री भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

6— नानी बाई पुत्री भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

7— गीता बाई पुत्री भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

8— सीता बाई पुत्री भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

9— केसर बाई बेवा भैरू लाल, जाति काछी, निवासी कुम्हारों का मोहल्ला, झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

10— शैतान बाई पत्नी कालू लाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम सेमली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

11— नन्दूबाई पत्नी चैन सिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम सेमली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

12— पानबाई पत्नी रामसिंह, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम सेमली, हाल मुकाम चन्दलोई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

13— सजन बाई पत्नी नन्दा, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम सेमली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

14— सजन बाई पत्नी छगन लाल, जाति गूर्जर, निवासी ग्राम सेमली, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

15— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री विजय कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री शैलेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 09.01.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 480/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 91, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम चन्दलोई पटवार हल्का चन्दलोई तहसील झालरापाटन में खाता संख्या नया 24 पुरानी 29 की खसरा नम्बर 13 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 13 बिस्वा कुल 5 किता की 18 बीघा 12 बिस्वा आराजी स्थित हे । सम्वत 2034–37 में उक्त विवादग्रस्त आराजी कुल 8 किता की 27 बीघा 5 बिस्वा थी जो भैरू लाल आत्मज जगन्नाथ 1/3, बिरधा आत्मज जगन्नाथ 1/3, जडाव बाई बेवा पन्ना 1/3 दर्ज थी । विवादग्रस्त आराजी के अलावा इसमें खसरा नम्बर 19 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 6 बिस्वा आराजी शामिल थी । जगन्नाथ के तीन पुत्र भैरू लाल, बिरधा और पन्ना थे जिसमें से पन्ना की मृत्यु जगन्नाथ के जीवनकाल में ही हो गयी थी । पन्ना ला औलाद फोत हुआ है । पन्ना की मृत्यु के बाद जडाव बाई ने वादी को गोद लिया था इस कारण वादी जडाव बाई की आराजी अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है । मृतक भैरू लाल के पुत्र भंवर लाल प्रतिवादी ने इंतकाल नम्बर 240 खुलवा कर जडाव बाई की आराजी गलत तौर पर अपने नाम दर्ज करवा ली है जबकि ग्राम पंचायत को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादी नम्बर 1 ने अन्य प्रतिवादीगण से मिलकर अवैध रूप से आराजी का बेचान प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 14 को किया है और उस बेचान के फलस्वरूप इंतकाल नम्बर 248, 249, 250, 251, 252 तक अवैध है । अतः दावा वादी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में

1/2 भाग का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेन न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबडाव बाई की आराजियात का खातेदार टीनेन्ट वादी और प्रतिवादीगण को घोषित कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि न्यायालय के द्वारा समस्त सबूत पेश होने के बावजूद उस पर विश्वास न करके भारी भूल की है । दत्तक प्रकिया को दीवानी न्यायालय से घोषित करवाना आवश्यक नहीं है । परम्पराओं के अनुसार गोद माना जाता है । फोती इंतकाल बाबत तहसीलदार के आदेशों पर विश्वास कर भूल की है । मृतक पन्ना के वारिसान ने गुलाब बाई, कंवरी बाई ..... का नाम जोड कर भूल की है । वादी के बयानों पर विश्वास न कर भूल की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट जडाव बाई का गोद पुत्र है उसने अपने कथन को साक्ष्य से साबित कर दिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जडाव बाई को गोद पुत्र नहीं माना है । आराजी अपीलांट के खाते दर्ज की जानी चाहिए जबकि अन्य वारिसों के नाम भी दर्ज की गई है । अपीलांट ने वोटर आई डी, बिजली के बिल आदि पेश किये हैं । जिस पर विश्वास न करके त्रुटि

की हे । इंतकाल नम्बर 240, 248, 249, 250, 251, 252 अवैध है और निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट स्वयं को गोद पुत्र बताते हैं परन्तु गोद पुत्र सिद्ध नहीं कर पाये हैं । गोद के बाबत तनकी नम्बर 4 कायम की गई थी जो उनके खिलाफ तय की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मतदाता पहचान पत्र की प्रति एक्जीविट 1ए, बिजली विभाग का बिल एक्जीविट 2ए, नकल नामान्तरकरण संख्या 240 एक्जीविट 3, नकल नामान्तरकरण संख्या 248 एक्जीविट 4, नकल नामान्तरकरण संख्या 249 एक्जीविट 5, नकल नामान्तरकरण संख्या 250 एक्जीविट 6, नकल नामान्तरकरण संख्या 251 एक्जीविट 7, नकल नामान्तरकरण संख्या 252 एक्जीविट 8, नकज जमाबंदी सम्वत 2034–37 एक्जीविट 9, नकल जमाबंदी सम्वत 2038–41 एक्जीविट 10, नकल जमाबंदी सम्वत 2038–41 एक्जीविट 11, नकल जमाबंदी सम्वत 2034–46 एक्जीविट 12, नकल जमाबंदी सम्वत 2051–54 एक्जीविट 13, नकल जमाबंदी सम्वत 2055–58 एक्जीविट 14, नकल जमाबंदी सम्वत 2059–63 एक्जीविट 15, नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 एक्जीविट 16, नकल नामान्तकरण सम्वत .... एक्जीविट 17, नकल जमाबंदी सम्वत 2063–66 एक्जीविट 18, नकल निर्णय जिला जज झालावाड एक्जीविट 19, नकल दावा उपखण्ड अधिकारी झालावाड एक्जीविट 20 और नकल जमाबंदी सम्वत 2041–44 एक्जीविट ए1, नकल नामान्तरकरण संख्या 297 एक्जीविट ए2, नकल विक्रय पत्र दिनांक 29.04.2010 एक्जीविट ए3, नकल निर्णय

तहसीलदार झालरापाटन एक्जीविट ए4 पेश किये हैं । वादी की ओर से बयान रामसिंह पी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं । प्रतिवादी की ओर से बयान भंवर लाल डी डब्ल्यू 1 कराये गये हैं ।

8 अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में तनकी नम्बर 7 में यह अंकित किया है कि वादी रामसिंह स्वयं को जडाव बाई का दत्तक पुत्र साबित नहीं कर पाया है, इस कारण वादग्रस्त आराजी मृतक जडाव बाई के हिस्से में है । उसे मृतक पन्ना के भाई भैरू लाल एवं बिरधा के वारिसान और पन्ना की सगी बहनों को खातेदार घोषित करते हुए बंटवारा करना उचित समझते हें और क्रियात्मक आदेश में दावा वादी डिक्री किया जाना अंकित किया है जबकि यदि रामसिंह को जडाव बाई का गोद पुत्र नहीं माना जाता है तो दावा डिक्री नहीं किया जा सकता । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि रामसिंह को जडाव बाई का गोद पुत्र नहीं माना जाता है तो पन्ना के खाते से जो आराजी जडाव बाई के खाते में आयी है उसको प्राप्त करने के अधिकारी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 बी के अनुसार पन्ना लाल के वारिस होगे । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 बी के अनुसार पन्ना लाल के विधिक वारिसों की जांच किया जाना भी आवश्यक है । तद्नुसार ही विधिक वारिसों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं ।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.04.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 बी के अनुसार मृतक जडाव बाई के विधिक वारिसों की जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा